तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 187/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.20	अपीलार्थी खेमसिंह जोधा पता ग्राम /पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.09.20 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय (भू0अ.0) जोधपुर के पत्र क्रमांक/भू.अ./वि.जां./2019/9286 दिनांक 22.08.2019 के द्वारा श्री मेघाराम तत्कालीन पटवारी धांधिया तहसील लूणी के विरूद्ध श्रीमान् के द्वारा 22.08.2019 के बाद की गई सम्पूर्ण पत्रावली मय कार्यालय टिप्पणी की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर भू.अ. जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर जोधपुर) से जरिये पत्रांक 969 दिनांक 27.10.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी का बांछित आवेदन पत्र शाखा के दायरा रजिस्टर में दर्ज होना नहीं पाया गया तथा आवक शाखा में भी संधारित आवक पंजिला का में अपीलार्थी का आवेदन पत्र आना नहीं पाया गया। अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर भू.अ. जोधपुर) से सूचना चाही गई है, संभवत आवेदन पत्र सीधे ही भू–अभिलेख शाखा को प्राप्त हो गया होगा। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट में आर.टी.आई शाखा में प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर भू.अ. जोधपुर को संबोधित होने से संभवत् भू–अभिलेख शाखा को प्राप्त हो गया होगा, बताया गया। कलक्टर कार्यालय की सभी शाखाओं का लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) एक ही है अतः प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा से भी रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करनी चाहिए जो नहीं की गई है। द्वितीयत् प्रभारी अधिकारी, भू.अ. शाखा कलक्टर कार्यालय में प्राप्त हुआ है तो उन्हें भी चाही गई सूचना के बारे में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट/ तैयार कर लोक सूचना अधिारी को प्रेषित करनी चाहिए परन्तु ऐसा करना नहीं पाया गया जो खेदजनक है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर)/प्रभारी अधिकारी, भू.अ. शाखा कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावें अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Ind
Date: 2020.12.08 14:33:50 IST
Reason: SelfAttested